

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म.प्र.)

प्रभार आदेश

क्रमांक- 941/2026

उज्जैन, दिनांक-12/10/2026

कुछ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मातृत्व अवकाश पर जाने के कारण पूर्व में जारी प्रभार आदेश क्रमांक 592/2026 उज्जैन, दिनांक 20/04/2026 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है।

जिस क्रम में प्रभारी अधिकारी, संबंधित न्यायालय का प्रभार होने पर आवश्यक कार्य देखेंगे उसी प्रकार प्रभारी अधिकारी, (थाना अ0जा0क0, माधवनगर, नानाखेड़ा एवं नागझिरी के प्रभारी अधिकारी को छोड़कर) संबंधित न्यायालय के पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164) के अंतर्गत अभियुक्तगण/साक्षीगण का भी परीक्षण करायेगा।

यह आदेश दिनांक 12 OCT 2026 से प्रभावशील होगा।

	1	2	3	4
बड़नगर				
1	श्री गौरव चौरसिया	श्रीमती भावना जाटवा	सुश्री अवनी व्यास	श्री पंकज गोंडू भालेराव
2	श्रीमती रिचा गोयल बंसल	मातृत्व अवकाश		
3	श्रीमती भावना जाटवा	श्री गौरव चौरसिया	सुश्री अवनी व्यास	श्री यश शर्मा
4	सुश्री अवनी व्यास	श्रीमती भावना जाटवा	श्री गौरव चौरसिया	श्री वेदांत दीक्षित
खाचरौद				
1	श्रीमती शैफाली सिंह	सुश्री निर्मला पटेल	श्री मनीष पाण्डे	श्रीमती सोनम शर्मा
2	सुश्री निर्मला पटेल	श्रीमती शैफाली सिंह	श्रीमती सोनम शर्मा	श्री मनीष पाण्डे
नागदा				
1	श्री मनीष पाण्डे	श्रीमती सोनम शर्मा	श्रीमती शैफाली सिंह	सुश्री निर्मला पटेल
2	श्रीमती सौम्या विजयवर्गीय	मातृत्व अवकाश		

3	श्रीमती सोनम शर्मा	श्री मनीष पाण्डे	श्रीमती शैफाली सिंह	सुश्री निर्मला पटेल
---	--------------------	------------------	---------------------	---------------------

नोट :-

- 1- यदि कंडिका 1 लगायत 4 के सभी मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो तो कंडिका 4 वाले न्यायिक अधिकारी के प्रभारी पर क्रमानुसार प्रभार रहेगा।
- 2- यदि किसी दिन एक ही मजिस्ट्रेट पर दो से अधिक मजिस्ट्रेट का प्रभार आ जाता है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिन विशेष आदेश से उस दिन की परिस्थिति अनुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।
- 3- तहसील मुख्यालय पर प्रथम प्रभारी एवं द्वितीय प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने पर जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित होगा उस पर अनुपस्थित मजिस्ट्रेट का प्रभार रहेगा।
- 4- संबंधित पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164) के अंतर्गत अभियुक्तगण/साक्षीगण का भी परीक्षण करायेगें।

क.	अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	2	3
बड़नगर		
1	श्री गौरव चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर	1- भाटपचलाना (बड़नगर तहसील में आने वाला क्षेत्र)
2	श्रीमती भावना जाटवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर	1- बड़नगर, 2- इंगोरिया
3	सुश्री अवनी व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर	—
खाचरौद		
1	श्रीमती शैफाली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खाचरौद	—
2	सुश्री निर्मला पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खाचरौद	1- बिरलाग्राम, (खाचरौद तहसील में आने वाला क्षेत्र), 2- भाटपचलाना (खाचरौद तहसील में आने वाला क्षेत्र)
नागदा		
1	श्री मनीष पाण्डेय,	1- जी0आर0पी0 चौकी नागदा

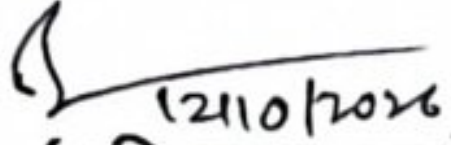
	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा	2- बिरलाग्राम (तहसील नागदा में आने वाला क्षेत्र)
2	श्रीमती सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा	1- नागदा, 2- खाचरौद.

नोट :-

- 1- तालिका अनुसार दर्शाये गये अधिकारी द्वारा उनके सामने अंकित आरक्षी केन्द्र के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164) के कथन अंकित किए जायेंगे एवं संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने की दशा में मुख्यालय उज्जैन में अभियोक्त्री/पीड़िता (महिला उत्पीड़न से संबंधित)/साक्षीगण/अभियुक्त के कथन के संबंध में उक्त सूची के कॉलम नंबर 2 में अंकित क्रमबद्धता अनुसार पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- 2- तहसील मुख्यालयों पर संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने की दशा में अभियोक्त्री/पीड़िता (महिला उत्पीड़न से संबंधित)/साक्षीगण/अभियुक्त के कथन के संबंध में पूर्व में जारी प्रभार आदेश अनुसार पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- 3- किसी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण यदि क्रमानुसार एवं प्रभार अनुसार ऐसे मजिस्ट्रेट पर प्रभार आ जाता है, जिसे संबंधित थाने का क्षेत्राधिकार है, तो क्रमानुसार/प्रभार अनुसार उसके नीचे क्रम वाले मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
- 4- किसी भी अन्य दशा/परिस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष आदेश से परिस्थिति अनुसार कथन अंकित किए जाने हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर सकेंगे।

अनुमोदित


(पी० सी० गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म०प्र०)


(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म०प्र०)

प्रतिलिपि :-

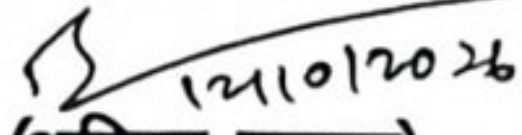
क्रमांक- 941/2026

उज्जैन, दिनांक- 12/10/2026

12 OCT 2026

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर

- प्रेषित।
- 2- माननीय श्री/श्रीमती समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- श्री/श्रीमती/कु. समस्त ए.सी.जे.एम. /जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
- 6- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सूचित करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।


(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)